

जुगाधर / चम्पा - 70/2023

70/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
10/12/24	<p>पत्रावली पेशक वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है, निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से काम होकर बाट नगरीन तकमील दाम्बिल दफन हो।</p> <p style="text-align: right;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्ड्रान्त)</p>	